

फा.सं.12/1/2018-प्रशासन भाग-1

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संविधान सदन,
नई दिल्ली।
दिनांक: 11.12.2023

कार्यालय जापन

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में नवंबर, 2023 माह का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के नवंबर, 2023 माह के मासिक सारांश की एक प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।



(पी.के. त्रिपाठी)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 011-23034746

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का नवंबर, 2023 का मासिक सारांश।

1. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियाँ:-

- **मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति की बैठक**
मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने 02 नवंबर, 2023 को हुई अपनी बैठक में शीतकालीन सत्र, 2023 को बुलाने के संबंध में 02 नवंबर, 2023 के नोट सं.09/2023 पर विचार किया और अनुमोदित किया कि संसद के दोनों सदनों को उनके शीतकालीन सत्र, 2023 के लिए सोमवार, 4 दिसंबर, 2023 को बुलाया जाए और सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए सत्र को शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2023 को समाप्त किया जाए।
- **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**
नवंबर, 2023 माह के अंत में, लोक सभा में 787 आश्वासन और राज्य सभा में 675 आश्वासन लंबित थे। माह के दौरान, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा के कहने पर 48 आश्वासन जोड़े गए, जबकि सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा के कहने पर 02 आश्वासन जोड़े गए।
- **परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण**

नवंबर, 2023 माह में -

क. परामर्शदात्री समितियों की 04 बैठकें आयोजित की गईं।

उपरोक्त से संबंधित विवरण अनुबंध में दिया गया है।

- **लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले	राज्य सभा में नियम 180ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले
दिनांक 01.11.2023 को लंबित मामले	273	064
माह के दौरान उठाए गए मामले	000	000
कुल मामले	273	064
माह के दौरान प्राप्त उत्तर	054	005
माह के अंत में लंबित मामले	219	059

- युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना
- क. केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का ऑनलाइन/राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित स्थानों पर पूरा किया गया:

(i) 07 और 08 नवंबर को केन्द्रीय विद्यालय, एनएमआर, जे.एन.यू

(ii) 21 और 22 नवंबर, 2023 को केन्द्रीय विद्यालय, सीआरपीएफ, अमेरिगोग

(iii) 28 और 29 नवंबर, 2023 को केन्द्रीय विद्यालय, गोमती नगर

- ख. नवंबर, 2023 माह के दौरान, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एनवाईपीएस पोर्टल पर कुल 33 नए पंजीकरण किए गए। 36 संस्थानों ने युवा संसद की बैठक आयोजित करने के बाद एनवाईपीएस पोर्टल पर पूर्णतः या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्रों का विवरण आदि अपलोड किया है।

- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)

नवंबर, 2023 माह के दौरान नेवा के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं:

1. सीपीएमयू नेवा के अधिकारियों का विधानमंडलों का दौरा-

क. उत्तराखंड विधान सभा

20-21 नवंबर, 2023 के दौरान देहरादून, उत्तराखंड में उत्तराखंड विधान सभा के लिए दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की गई। इस दो दिवसीय कार्यशाला में टीम ने उत्तराखंड विधान सभा के अधिकारियों के समक्ष नेवा मॉड्यूल का प्रदर्शन किया।

ख. असम विधान सभा

अपर सचिव और उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने असम विधान सभा में नेवा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से असम विधान सभा के माननीय अध्यक्ष और सचिव के साथ चर्चा करने के लिए 30 नवंबर, 2023 को असम विधान सभा का दौरा किया।

ग. पंजाब विधान सभा

सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारियों ने 28-29 नवंबर, 2023 को पंजाब विधान सभा को नेवा के माध्यम से संचालित अपने पहले डिजिटल सत्र के दौरान व्यावहारिक सहायता प्रदान की।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कार्यशाला

क. सीपीएमयू नेवा टीम ने 6 नवंबर, 2023 को नेवा मॉड्यूल पर चर्चा के लिए गुजरात विधान सभा के लिए एक आभासी सम्मेलन सत्र आयोजित किया।

ख. सीपीएमयू नेवा टीम ने 7 नवंबर, 2023 को मास्टर डेटा निर्माण पर प्रशिक्षण के लिए उत्तराखंड विधान सभा के साथ एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया।

ग. सीपीएमयू टीम ने 20 नवंबर, 2023 को विधेयक मॉड्यूल पर चर्चा के लिए पंजाब विधान सभा के साथ एक आभासी सम्मेलन का आयोजन किया।

3. नेवा कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विधान सभाओं को प्रदान की गई सहायता-

सीपीएमयू टीम ने पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानमंडलों को नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदन के कामकाज के निर्बाध संचालन को सुगम बनाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान की।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले
-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन हेतु स्वीकृति' के मामलों की संख्या
-शून्य-
4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।
-शून्य-
5. जारी स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)
-गतिविधियां की जा रही हैं और नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।
6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति
-इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं हैं।
7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी
-लागू नहीं-
8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति
- वर्तमान में मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।
9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है
- शून्य
10. माह के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की स्थिति।
-शून्य-

अनुबंध

नवंबर, 2023 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, दिनांक और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/टिप्पणी
1.	शुक्रवार, 3 नवंबर, 2023 को अपराह्न 3:00 बजे	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	जैव ईंधन और सीबीजी	काजीरंगा, असम
2.	मंगलवार, 7 नवंबर, 2023 को अपराह्न 4:00 बजे	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	"राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना"	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध, नई दिल्ली
3.	गुरुवार, 23 नवंबर, 2023 को पूर्वाह्न 10:30 बजे	इस्पात	भारतीय इस्पात की ब्रांडिंग	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली
4.	बुधवार, 29 नवंबर, 2023 को अपराह्न 3:00 बजे	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी	"पीएमएमएसवाई और समुद्री मात्स्यिकी विकास"	समिति कक्ष "1", संसदीय सौध (विस्तार), नई दिल्ली